



124202 - रोज़ेदार के लिए नाक का स्प्रे उपयोग करने का हुक्म

प्रश्न

रोज़े की अवस्था में नाक का स्प्रे उपयोग करने का क्या हुक्म है?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

“आवश्यकता पड़ने पर इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इसे रात के समय तक विलंबित करना संभव है, तो यह अधिक सावधानी का पक्ष है।” उद्धरण समाप्त हुआ।

आदरणीय शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रहिमहुल्लाह।

“मजमूओ फतावा अश-शैख इब्ने बाज़” (15/264)।

तथा “इस्लामी फिक्ह काउंसिल” के निर्णय में कहा गया है :

“निम्न चीज़ें रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों में से नहीं मानी जाती हैं : ... आंख की बूंदें, या कान की बूंदें, या कानों को धोने का लोशन (ईयरवॉश), या नाक की बूंदें, या नाक का स्प्रे, जबकि गले तक पहुँचने वाली चीज़ को निगलने से बचा जाए।”
उद्धरण समाप्त हुआ।

“मजल्लतुल-मुजम्मअ” (10/2/454)

और अल्लाह तआला ही सबसे बेहतर जानता है।